सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य-मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) समाचार पत्र उद्योग निजी क्षेत्र में है और यह एक प्रतियोगी बाजार में काम करता है । उनकी कीमतें अलग-अलग प्रबन्धक वर्गों द्वारा निश्चित की जाती हैं ।

(ख) जी, नहीं । समाचारपत्रों को अखबारी कागज की अबाधित आपूर्ति सुनिश्चित करना ही सरकारी नीति का लक्ष्य है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) भारत में समाचारपत्र अपनी स्वयं की प्रतियोगी कीमतें नियत करने के लिए स्वतंत्र हैं । विदेशी समाचार-पत्र अपने बाजारों में प्रचलित बाजार शर्तों के तहत अपनी कीमतें नियत करते हैं ।

(ङ) और (च) वर्तमान में स्वदेशी अखबारी कागज विदेशी अखबारी कागज की अपेक्षा सस्ता है । तथापि, मिलों द्वारा प्रयुक्त निवेश एवं प्रौद्योगिकी के कारण गुणवत्ता में अन्तर है ।

श्रव्य तथा दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा अपनाए गए नीतिगत दिशा-निर्देश

6992. श्री सतीश प्रधान : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रव्य तथा दृश्य प्रचार निदेशालय (डी०ए०वी०पी०) की विज्ञापन-नीति क्या है;

(ख) सभी समाचार पत्रों के प्रति सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा एक समान नीति न अपनाने के क्या कारण हैं;

(ग) श्रव्य तथा दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा प्रत्येक पंजीकृत समाचार पत्र को विज्ञापन प्रदान न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य-मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) सरकारी विज्ञापनों का मुख्य उद्देश्य समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं के माध्यम से यथासंभव अधिकतम कवरेज प्राप्त करना है । इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और निधियों की उपलब्धता के अधीन, इस नीति का उद्देश्य संतुलित एवं न्याय संगत विज्ञापन प्रदान करना है ।

(ख) विज्ञापन नीति सभी समाचरपत्रों पर समान रूप से लागू है ।

(ग) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय में 38000 से अधिक समाचरपत्र पंजीकृत हैं जबकि वर्तमान में सरकारी विज्ञापन जारी करने हेतु विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के पैनल में केवल 5322 समाचरपत्र/पत्रिकाएं हैं । विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के पैनल में सभी समाचरपत्रों/पत्रिकाओं को प्रत्येक वर्ष कम से कम तीन विज्ञापन अनिवार्य रूप से जारी किए जाते हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत के समाचार पत्रों का रजिस्ट्रार

6993. श्री सतीश प्रधान : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा समाचार पत्र के लिए नाम प्रदान करते समय समाचार पत्रों पर किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखा जाता है;

(ख) यदि खुले बाजार की नीति के कारण कोई व्यक्ति भारत सरकार से अखबारी कागज नहीं खरीदता है तो

समाचारपत्रों के पंजीकरण की क्या आवश्यकता है;

(ग) भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के कार्यालय को बंद न करने के क्या कारण हैं;

(घ) "नाम" प्रदान करने के बाद पंजीकरण करने में भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा पत्रकारों को परेशान करने के क्या कारण हैं ;

(ङ) यदि एक नाम किसी पत्रकार के पास है तो क्या वह भारत में किसी और स्थान पर इसकी घोषणा नहीं कर पाएगा; और

(च) दूसरे राज्यों में स्थापित कार्यालयों द्वारा घोषणा करने में समस्याएं पैदा करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य-मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय द्वारा इच्छुक प्रकाशक द्वारा प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 के नियमों के तहत संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के जरिए उनको पत्र लिखने पर ही प्रस्तावित शीर्षकों की उपलब्धता का सत्यापन किया जाता है । इस प्रकार, शीर्षक प्रदान करते समय उनका समाचार-पत्रों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है।

(ख) प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक के कार्यालय में समाचार-पत्रों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य नहीं है । तथापि, केवल पंजीकृत समाचार पत्र ही सरकार द्वारा दी जाने वाली केन्द्रीय/राज्य सरकार विज्ञापन, डाक छूट, दूरभाष सुविधा प्रत्यापन आदि जैसी विभिन्न सुविधाओं के पात्र हैं ।

(ग) मुख्यत: भारत में प्रकाशित समाचारपत्रों के विनियमन तथा पंजीकरण हेतु ही प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 की धारा 19क के अंतर्गत भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक के कार्यालय का सृजन किया गया था । भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय द्वारा इन सांविधिक कार्यों को अब भी निष्पादित किया जा रहा है ।

(घ) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय द्वारा प्रकाशकों को तंग नहीं किया जाता है । कई मामलों में भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय में पंजीकरण हेतु अधूरे आवेदन भेजे जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप संकर संवादिता होती है तथा पंजीकरण में विलम्ब होता है । प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम में निर्धारित सभी अपेक्षाओं के पूरा होते ही तत्काल पंजीकरण कर दिया जाता है ।

(ङ) प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 के अंतर्गत उस जिला अथवा उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट के समक्ष घोषणा की जानी अपेक्षित होती है जिसके स्थानीय न्यायाधिकार क्षेत्र से संबंधित समाचारपत्र मुद्रित अथवा प्रकाशित किया जाएगा ।

(च) समाचार पत्र के प्रकाशक द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष घोषणा प्रस्तुत की जानी अपेक्षित होती है न कि भारत के समाचरपत्रों के पंजीयक के क्षेत्रीय कार्यालयों की अत: घोषणा में भारत के समाचरपत्रों के पंजीयक के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा समस्याएं पैदा करने का प्रश्न नहीं उठता ।

Dee's Home Shopping Club

6994. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI: WiU the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that "Dee's Home Shopping Club" programme which is a purely business and commercial programme, it telecast daily at 12.00 noon for one hour on DD-2^